राज सरकार बनाम ग्रा.पं. कीरतपुरा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | मु.न. 112/24 |
|---|---|---|
| | 24/02/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा [illegible] [illegible]/RO सा० राज्य कार्य [illegible] होने से जनरल तारीख पेशी हो गई [illegible] की पालना में दिनांक 28/4/25 को [illegible] हो। | |
| | [illegible] | |
| 28.4.25 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पैरोकार सरकार उप० हमने पैरोकार सरकार बहस सुनी। बहस पर मनन किया। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। तहसीलदार बांदीकुई ने प्रस्ताव में राजस्व ग्राम कीरतपुरा स्थित चारागाह भूमि में से मौके पर चालू रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज करने बाबत निवेदन किया है। प्रस्ताव में वर्णित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में चारागाह दर्ज है। चारागाह भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आने के कारण उक्त भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नही होता है अतः तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव चारागाह प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि का होने के कारण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कुबल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। | |
| | (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा) | |

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

PH:-01420-22848
E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :-112/2024
प्रकरण दायर दिनांकः- 16.07.2024
प्रकरण निर्णय दिनांकः- 22.04.2025

उनवान- राज. सरकार बनाम ग्राम पंचायत कीरतपुरा

राजस्व ग्राम कीरतपुरा स्थित चारागाह भूमि में से प्रस्तावित रास्तों को राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत।

निर्णय दिनांकः- 22.04.2025

तहसीलदार बॉंदीकुई ने पत्र कमांकः राजस्व/रास्ता प्रकरण/2024/1363 दिनांकः 10.07.2024 द्वारा राजस्व ग्राम कीरतपुरा स्थित चारागाह भूमि खसरा नं. 1900/725 रकबा 5.57 हैक्ट. में से 0.05 हैक्ट. किस्म चारागाह भूमि का प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत पेश किया है। प्रस्ताव की ताईद में भू.अ. निरीक्षक देलाडी एवं पटवारी हल्का अरनियां रिपोर्ट दिनांकः 28.03.2024, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2072-75 ग्राम कीरतपुरा खाता सं. नया 262 पुराना 1, संलग्न नक्शा ट्रेस जिसमें लाल स्याही से प्रस्तावित रास्ते को प्रदर्शित किया गया है, प्रस्तुत की है। प्रस्ताव में उक्त चारागाह भूमि में से गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत निवेदन किया है।

हमने प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रार्थी/पैरोकार सरकार को सुना। तहसीलदार बॉंदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किया। प्रस्ताव में वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में चारागाह दर्ज रिकार्ड है। चारागाह भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आने के कारण उक्त भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः तहसीलदार बॉंदीकुई द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव चारागाह प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि का होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

22/4/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)